Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय राम मंदिर, जयपुर डिस्कॉम के विरूद्ध आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में 5 ठिकानों पर छापे**
- **वैध आय से लगभग 1200 प्रतिशत अधिक परिसम्पत्तियों का खुलासा**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *06 दिसम्बर, मंगलवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की इन्टेलिजेंस इकाई द्वारा विकसित सूत्र सूचना पर आज ए.सी.बी. की विभिन्न टीमों द्वारा कार्यवाही करते हुये **दीपक कुमार गुप्ता सहायक लेखाधिकारी**, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कार्यालय राम मंदिर, जयपुर के जयपुर शहर में स्थित 5 विभिन्न ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ब्यूरो मुख्यालय द्वारा **दीपक कुमार गुप्ता सहायक लेखाधिकारी**, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कार्यालय राम मंदिर, जयपुर के विरूद्ध शिकायत का सत्यापन किया जाकर आय से अधिक परिसम्पत्तियां अर्जित करने का मामला बनना पाये जाने पर **प्रकरण** दर्ज कर **अनुसंधान अधिकारी श्री ललित किशोर शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एस.आई.डब्ल्यू. जयपुर** के नेतृत्व में ब्यूरो की एस.आई.डब्ल्यू एवं इन्टेलिजेंस यूनिट के सहयोग से विभिन्न टीमों का गठन किया जाकर आज अलसुबह उनके 5 विभिन्न ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई की गई है।

ब्यूरो की प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्राथमिक आकलन एवं अब तक मिले दस्तावेजों के अनुसार **दीपक कुमार गुप्ता सहायक लेखाधिकारी**, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कार्यालय राम मंदिर, जयपुर द्वारा **लगभग 16.31 करोड** की परिसम्पत्तियां अर्जित करने का अनुमान है, जो उनकी **वैध आय से करीब 1200 प्रतिशत अधिक** है। आरोपी अधिकारी द्वारा अपनी अवैध आय को जयपुर में आवासीय/व्यावसायिक/भूखण्डों/फ्लैटों एवं म्यूचवल फण्ड, इन्श्योरेन्स आदि में निवेश करना ज्ञात हुआ है। आरोपी के जयपुर स्थित मकान से **14 लाख रुपये की नगदी, 1 किलोग्राम सोने के आभूषण, 20 किलो चांदी, दो लग्जरी वाहन** सहित काफी मात्रा में चल–अचल सम्पत्ति के दस्तावेज मिले हैं। आरोपी ने चित्रकूट, वैशालीनगर जयपुर में एक **आलीशान आधुनिक सुख–सुविधाओं युक्त (होम थियेटर, लिफ्ट, जिम) बंगला** बना रखा है। इसके अतिरिक्त मानसरोवर जयपुर में **एक होटल** भी बना रखी है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी के निर्देशन में ए.सी.बी. की विभिन्न टीमों द्वारा आरोपी के ठिकानों पर तलाशी अभियान जारी है, जिसमें और अधिक परिसम्पत्तियों का पता चलने की संभावना है। आरोपी के विरूद्ध आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का प्रकरण पीसी एक्ट में दर्ज किया जाकर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।